

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

१० दसिम्बर १९४८ को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इसका पूर्ण पाठ आगे के पृष्ठों में दिया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का बर्चार किए बनिा, वशिषतः स्कूलों और अन्य शकृषिा संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें।

इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन पांच भाषाओं में प्राप्य हैः—अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनशि। अनुवाद का जो पाठ यहां दिया गया है, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

प्रस्तावना

चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और समान तथा अबच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही वशिव-शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है,

चूंकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जनिसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूंकि ऐसी वशिव-व्यवस्था की उस स्थापना को (जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलिी) सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है,

चूंकि अगर अन्धाययुक्त शासन और जुल्म के वरिद्ध लोगों को वरिद्धि करने के लिए—उसे ही अन्तमि उपाय समझ कर—मजबूर नहीं हो जाता है, तो कानून द्वारा नयिम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनविरय्य है,

चूंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना ज़रूरी है,

चूंकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नरनारयियों के समान अधिकारों में अपने वशिवास को अधिकार-पत्र में दुहराया है और यह नशिचय किया है कि अधिक व्यापक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगत एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाय,

चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादयियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे,

चूंकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आजादयियों का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे अधिक ज़रूरी है। इसलिए, अब,

सामान्य सभा

घोषित करती है कि

मानव अधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शकृषिा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादयियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय उपाय किए जाएं जनिसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति और उनका पालन करावे।

अनुच्छेद १.

सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद २.

सभी को इस घोषणा में सन्तुष्टि सभी अधिकारों और आजादयियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य बर्चार-प्रणाली, किसी देश या समाज वशिष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का बर्चार न किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतन्त्र हो, संरक्षित हो, या स्त्राशासन रहित हो या परमिति प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, कृषेत्रीय या अन्तराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के नवासियों के प्रति कोई फरक न रखा जाएगा।

अनुच्छेद ३.

प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद ४.

कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी-प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद ५.

किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद ६.

हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति-प्राप्त का अधिकार है।

अनुच्छेद ७.

कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बनिा भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेद-भाव किया जाय उस प्रकार के भेद-भाव को किसी प्रकार से उकसाया जाय, तो उसके वरिद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद ८.

सभी को संवधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के वरिद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद ९.

किसी को भी मनमाने ढंग से गरिफ्तार, नज़रबन्द या देश-निष्कासित न किया जाएगा।

अनुच्छेद १०.

सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के नशिचय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौज़दारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरिपेक्ष एवं निरिपेक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद ११.

प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफ़ाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाय।

कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिस तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा, जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद १२.

किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्रव्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आधेपों के वरिद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद १३.

प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक आने, जाने और बसने का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद १४.

प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर-राजनीतिक अपराधों से सम्बन्धित हैं, या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के वरिद्ध कार्य हैं।

अनुच्छेद १५.

प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र-वशिष को नागरिकता का अधिकार है।

किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का यरविरतन करने से मना न किया जाएगा।

अनुच्छेद १६.

बालिग स्त्री-पुरुषों को बना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में बहिह करने और परिवार को स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें बहिह के वषिय में वैवाहिक जीवन में, तथा बहिह वच्छेड के बारे में समान अधिकार है।

बहिह का इरादा रखने वाले स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतन्त्र सहमति पर ही बहिह हो सकेगा।

परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनयिदी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद १७.

प्रत्येक व्यक्तिको अकेले और दूसरों के साथ मलिकर सम्मत रखने का अधिकार है।

किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी सम्मतिसे वंचित न किया जाएगा।

अनुच्छेद १८.

प्रत्येक व्यक्तिको बचिर, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या वशिवास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मलिकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा नज्ी तोर पर अपने धर्म या वशिवास को शक्तिपा, क्रिया, उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतन्त्रता है।

अनुच्छेद १९.

प्रत्येक व्यक्तिको बचिर और उसकी अभवियक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के ज़रिए से तथा सीमाओं की परवाह न कर के किसी की मूचना और धारणा का अन्वेषण, प्रहण तथा प्रदान सम्मलिति है।

अनुच्छेद २०.

प्रत्येक व्यक्तिको शान्ति प्रण सभा करने या समति बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार है।

किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद २१.

प्रत्येक व्यक्तिको अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतन्त्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के ज़रिए हसिसा लेने का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्तिको अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।

सरकार की सत्ता का आधार जनता की दच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय-समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या कमी अन्य समान स्वतन्त्र मतदान पद्धतिसे कराये जाएंगे।

अनुच्छेद २२.

समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्तिको अपने व्यक्तित्व के उस स्वतन्त्र विकास तथा गौरव के लिए—जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो—अनकिरयतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद २३.

प्रत्येक व्यक्तिको काम करने, इच्छानुसार रोज़गार के चुनाव, काम की उचित और सुवधायक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है।

प्रत्येक व्यक्तिको समान कार्य के लिए बना किसी भेदभाव के समान मज़दूरी पाने का अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्तिको जो काम करता है, अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मज़दूरी पाए, जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबन्ध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।

प्रत्येक व्यक्तिको अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद २४.

प्रत्येक व्यक्तिको वशि्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अन्तर्गत काम के घंटों की उचित हदबन्दी और समय-समय पर मज़दूरी सहित छुट्टियाँ सम्मलिति है।

अनुच्छेद २५.

प्रत्येक व्यक्तिको ऐसे जीवनस्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चकितिसा-सम्बन्धी सुवधियाँ और आवश्यक सामाजिक सेवाएँ सम्मलिति है। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

जच्चा और बच्चा को ख़ास सहायता और सुवधि का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह बहिहता माता से जन्मा हो या अवहिहता से, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद २६.

प्रत्येक व्यक्तिको शक्तिपा का अधिकार है। शक्तिपा कम से कम प्रारम्भिक और बुनयिदी अवस्थाओं में नशिलक होगी। प्रारम्भिक शक्तिपा अनविर्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों-सम्बन्धी शक्तिपा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शक्तिपा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।

शक्तिपा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानाव अधिकारों तथा बुनयिदी स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान को पुष्टि। शक्तिपा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहपिण्ठा और संतरी का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों के आगे बढ़ाया जाएगा।

माता-पति को सबसे पहले इस बात का अक्षिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शक्तिपा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद २७.

प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रवक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हसिसा लेने, कलाओं का आनन्द लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुवधियों में भाग लेने का हक है।

प्रत्येक व्यक्तिको किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति में उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं हो।

अनुच्छेद २८.

प्रत्येक व्यक्तिको ऐसी सामाजिक और अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतन्त्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद २९.

प्रत्येक व्यक्तिका उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र और पूर्ण विकास संभव हो।

अपने अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्तिकेवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा, जो कानून द्वारा नशिकति की जाएंगी और जनिका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जनिकी आवश्यकता एक प्रजातन्त्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सदिधान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जायगा।

अनुच्छेद ३०.

इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह, या व्यक्तिकी किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहाँ बताये गए अधिकारों और स्वतन्त्रताओं में से किसी का भी वनिाश करना हो।